

05/01/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा
 जरिये अधिवक्ता प्रार्थी लक्ष्मण द्वारा प्रमाण
 खरीज विये जाने बाबत प्रा. पत्र हीआई इस
 क्षण का पेश विया की अनबानी प्रकरण
 में प्रार्थी अब कोई कार्यवाही नहीं चाहत
 है इसलिए प्रकरण को अब और आगे
 चलाने का इच्छुक नहीं है। अतः प्रकरण
 खरीज विया जावे। अपने प्रफा पर विल
 प्रार्थी को सुना। विल प्रार्थी ने भी इस
 रूप कले हुए प्रार्थना पत्र Not press
 विया है। हमने प्रकरण का अक्लोकन
 विया। प्रार्थी अपने प्रकरण को अब आगे
 नहीं चलाकर खरीज करवाना चाहत है अतः
 प्रार्थना पत्र हीआई खरीज विया जाना उचित
 समझते है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्माई - निवेदना
 इसी स्तर पर खरीज विया जात है।
 फावली प्रसन्न शुमार होवर नम्बर से कर है
 कारिल स्तर है।

सहायक कलक्टर
 जयपुर (क.क.)